an>

Title: Need to withdraw the decision to grant Indian Citizenship to Hindu Bangladeshi immigrants residing in Assam.

m01

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) ः अंग्रेजों के शासनकाल से ही असम में असमिया भूमिपुत्र और बांग्लाभाषी हिन्दुओं के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इतिहास के गलत ब्यौरों की वजह से अंग्रेजों ने 1836 से 1873 तक असमिया भाषा को राज सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता खत्म कर बंगाली भाषा को राज सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकृत किया था। सन 1979 में विदेशी बहिष्कृत आंदोलन ने हत्या और संघर्ष का रूप लिया था लेकिन 1985 में ऐतिहासिक असम समझौता के जरिये 24 मार्च, 1971 को विदेशी नागरिकों की पहचान की सीमा निर्धारण करने के 30 वर्ष होने के बावजूद असम से विदेशी नागरिकों को उनके मूल देश वापस नहीं भेजा गया, परंतु समाज में मिले-जुले एक परिवेश की सृष्टि हुई। सभी लोगों द्वारा गत दिनों के खट्टे अनुभवों को भूल जाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन उसी समय विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ 2014 तक जितने भी बांग्लादेशियों ने भारत में प्रवेश किया हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता देने के लिए संसद में बिल पेश होने के साथ-साथ असम के लोगों में अशांतिमय परिवेश की सृष्टि होना परिलक्षित हुआ हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भारतवर्ष तथा असम के साधारण लोगों की सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए हिन्दू-बांग्लादेशी को नागरिकता प्रदान करने के बजाय न्यायसंगत सर्वमान्य कदम उठाने के लिए भारत सरकार से मांग के साथ अनुरोध करता हूं और साथ ही "डी " वोटर समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने के लिए अनुरोध करता हूँ।